

(162)

M. 33

न्यायालय : मानवीय राजस्व मण्डल ग्रामलियर कैम्प रीवा, मोपूर।

R. 5508-दो/16

राजनिगरानीक्र०/ 1016



राम्यन्दु केवट तनयरामसनेही उम्र-70 वर्ष निवासी मलेश्वर, तह0 हनुमना  
जिला रीवा, मोपूर।

— आवेदक —

## बनाम

01- बजरंगी केवट तनय रामसनेही केवट उम्र-60 वर्ष निवासी ग्राम मलेश्वर,  
तह0 हनुमना जिला रीवा, मोपूर।

02- शीतन मोपूर

— अनांगण। —

आवेदक को ओरते  
सी आरपलेश पाठेष एक  
द्यारा देश 24-11-16  
24-11-16

कलर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल मोपूर ग्रामलियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान  
तद्दीक्षार, हनुमना जिला रीवा, मोपूर।

प्रक्र0 3-६-३/2011-12 आदेश दिनांक  
30.06.016 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मोपूर०रा०स०

1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

101। यह कि भूमि नू० 79/1 रकवा 0.12ए०, स्थित ग्राम बलेश्वर, तह0  
हनुमना, जिला रीवा मोपूर का आवेदक भूमिस्वामी एवं स्वत्व व अधिपत्यधारी  
है। आवेदकसर्व अनावेदक के मध्य 10 वर्ष पूर्व बंटवाराहो चुका है। बंटवारे के  
अनुसत्तार अने अपने हिस्से में काबिज दखील है। भूमि नू० 79/1 आवेदक का  
एवं 79/2 अनावेदक का है। आवेदक दारा अने स्वत्व अधिपत्य की भूमि नू०

निरंतर....

नामचक्षु

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रण क्रमांक R.5508 - दो।।६ जिला रीवा

रामचंद्र केवट

विरुद्ध

विनेगी केवट


(1)

(2)

(3)

19.12.18-

1. आवेदक की ओर से श्री आरविलेश पाठेप अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नाक्ष तहसीलदार/ सज्जन चिकित्सक, तहसील हनुमगढ़ के प्रकरण क्रमांक ०३/अ.३/।।।२ में पारित आदेश दिनांक ३०-६-१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ।।।४.३.।९ को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

  
सदस्य